समाचार

भविष्य में पानी की समस्या से बचने रैनवाटर हार्वेस्टिंग जरूरी–आयुक्त

(रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से बढ़ाया जा सकता है भूजल स्तर)

(निगम कार्यालय साकेत में आयोजित हुई कार्यशाल)

कोरबा 28 मई 2019 –आयुक्त श्री एस.के. दुबे ने रैनवाटर हार्वेस्टिंग कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा है कि भविष्य में पानी की समस्या से बचने के लिए भवनों, घरों आदि में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना अत्यंत आवश्यक है, इस सिस्टम को स्थापित कर हम भूजल के स्तर को बढ़ा सकते हैं। उन्होने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने घरों, भवनों में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएं, पानी का अपव्यय रोकें तथा भूजल स्तर बढ़ाने में अपना सहयोग दें।

नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभागार में आज रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयुक्त श्री एस.के.दुबे तथा निगम के अधिकारियों, अभियंताओं, आर्किटेक्टों सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में भूगर्भ जलविद श्री के. पाणीग्रही ने रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकारों का प्रस्तुतीकरण किया, उन्होने बताया कि विश्व के कुल पेयजल स्त्रोत का मात्र 4 प्रतिशत पेयजल स्त्रोत ही भारत में उपलब्ध है तथा पूरे वर्ष केवल 100 घंटे ही बरसात होती है, यदि हम आज जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं हुए तो भविष्य में भारी कठिनाईयां उपस्थित होंगी, अतः आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक इसके प्रति जागरूक हों तथा अपने घरों में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाकर बरसाती पानी को भूमि के अंदर पहुंचाने में अपना सहयोग दें।

शासकीय भवनों, निजी विद्यालय, अस्पतालों में सिस्टम लगाना अनिवार्य– आयुक्त श्री एस.के.दुबे ने निगम क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय विभागों, निजी विद्यालयों व अस्पताल संचालकों व अन्य भवनों के मालिकों से अपील करते हुए कहा है कि वे अनिवार्य रूप से इन भवनों में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाएं तथा 10 जून तक यह कार्य पूर्ण कर लें। उन्होने कहा कि शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप समस्त विभागीय प्रमुखों, निजी विद्यालय, अस्पताल एवं अन्य बड़े भवनों के स्वामियों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके भवनों में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित है तथा वह सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।

निगम के सभी जोन कार्यालय भवनों में बनेगे सिस्टम– कार्यशाला के दौरान आयुक्त श्री दुबे ने निगम के समस्त जोन कमिश्नरों को निर्देश देते हुए कहा कि निगम के सभी जोन कार्यालय भवनों में कल

से ही रैनवाटर सिस्टम स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया जाए तथा प्रत्येक जोन में स्थित सामुदायिक भवनों व निगम निर्मित अन्य भवनों में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए जाएं।

आमजन से सिस्टम बनाने की अपील– आयुक्त श्री दुबे ने निगम क्षेत्र के समस्त नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने–अपने घरों में रैनवाटर हार्वेस्टिंग पिट स्थापित करें ताकि वर्षा ऋतु के दौरान छतों के पानी को जमीन के अंदर प्रवाहित किया जा सके। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए निगम के भवन निर्माण अनुज्ञा शाखा से संपर्क किया जा सकता है।

150 वर्गमीटर से अधिक आकार के भूखण्डों के लिए सिस्टम अनिवार्य– कार्यशाला के दौरान बताया गया कि भवन अनुज्ञा अनुज्ञात किए जाने वाले 150 वर्गमीटर से अधिक आकार के भूखण्डों के लिए वर्षा जल संरक्षण हेतु रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रावधान अनिवार्य है। ऐसे भवन जो 150 वर्गमीटर से अधिक आकार के भूखण्ड पर पूर्व से निर्मित है तथा उनमें रैनवाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान अद्यतन नहीं किया गया है, पर प्रतिवर्ष भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्रति सौ वर्गमीटर पर 1000 रूपये के मान से वार्षिक शास्ति आरोपित की जावेगी, इस प्रकार की शास्ति तब तक आरोपित की जाएगी, जब तक कि भवन स्वामी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कर निगम को इसकी लिखित सूचना नहीं दी जाती है।

कार्यशाला के दौरान निगम के मुख्य लेखाधिकारी पी.आर.मिश्रा, अधीक्षण अभियंता ग्यास अहमद, कार्यपालन अभियंता ए.के. शर्मा, एम.के.वर्मा, आर.के. माहेश्वरी, एम.एन.सरकार, आर.के. भोजासिया, आर. के. चौबे, भूषण उरांव, सहायक अभियंता डी.सी.सोनकर, तपन तिवारी, विनोद शांडिल्य, एन.के. नाथ, प्रकाश चन्द्रा, डॉ.संजय तिवारी, संजीव बोपापुरकर, आर्किटेक्ट इंजी.अशोक सिंह आदि के साथ अन्य अभियंतागण, आर्किटेक्टगण उपस्थित थे।